न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:—17/2016 (339/08)
जी.सी.एम.एस .संख्या:—2008/00024 (223 आर.टी.एक्ट)

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

उनवान

1. मंगल पुत्र श्योदान जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
2. हरज्ञान पुत्र जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान ।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये—जिलाधीश
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम
3. चैन्या
4. धर्म
5. रिषी

(3–5) } पिसरान लौहड़या जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली।

6. शान्ति बेवा लौहडया जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली—(मृतक)(हजफ)
7. भजन पुत्र पूल्या जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:—

1. श्री श्याम प्रकाश गर्ग अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 02।

—::निर्णय::—

दिनांक: 06.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 102/2006 बउनवान भंगल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरह तथा वाद पत्र सं0 15/2006 बउनवान चैन्या वगैरह बनाम मंगल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2008 के विरुद्ध अंतगत [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद [illegible]
2. प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत [illegible] हित के मुकदमा नम्बर [illegible]/2006 व मुकदमा नम्बर 102/2006 को दिनांक 16.0[illegible]007 को कॉन्सोलिडेट [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर 102/2006 में वादी मंगल ने विरूद्व प्रतिवादीगण एक मुकदमा इस आशय का पेश किया कि उनकी काबिज काश्त खातेदारी आराजी साबिक खसरा नम्बर 447 रकबा 07 बिस्वा वाके ग्राम मान्नोज का हाल खसरा नम्बर 410 रकबा 09 एयर कायम किया है। सेटलमेंट विभाग द्वाराहाल खसरा नम्बर 410 को साबिक खसरा नम्बर 448 के स्थान पर दर्ज किया गया है। तथा नवीन नक्शा ट्रेस में दक्षिण की पूर्व की तरफ लाइन खिंचकर 409 को दर्शाया है। खसरा नम्बर 409 के स्थान पर 410 आना चाहिए था। और 409 के दक्षिण से पूर्व की तरफ खिची गई है जिसे हजफ किया जाना चाहिए था। प्रतिवादी सं0 07 का नया खसरा नम्बर 411 वादी के खसरा नम्बर 410 के पूर्व में होना चाहिए था। जिस पर काबिज चला आ रहा है। इसमें अनुतोष चाहा गया कि खसरा 400 के स्थान पर 409 दर्ज किया जावें और 411 को खसरा नम्बर को 410 की दक्षिण दिशा की बजाय पूर्व दिशा में तरमीम करते हुए आदेश जारी किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में मजामहत पैदा न करे।

मुकदमा नम्बर 15/2006 में वादी द्वारा खसरा नम्बर 409 रकबा 08 एयर वादी की कब्जे काश्त की भूमि है। इसमें प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में मजामहत पैदा न करे। यही मुख्य अनुतोष है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तनकीयात कायम कर मुकदमा नम्बर 102/06 को खारिज किया गया तथा मुकदमा नम्बर 15/06 को विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जेकाश्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 447 रकबा 07 बिस्वा ग्राम मान्नोज स्थित है। जिसका नवीन खसरा नम्बर 410 रकबा 09 एयर कायम किया है। साबिक खसरा नम्बर 447 की पूर्व दिशा में साबिक खसरा नम्बर 448 है। जो रेस्पो0 07 की खातेदारी है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 411 है। साबिक खसरा नम्बर 447 की पश्चिम दिशाा में नाला है। परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 409 के स्थान पर 410 आना चाहिए था और खसरा नम्बर 409 के दक्षिण से पूर्व की तरफ खींची गई लाइन को हजफ किया जाना चाहिए था। नवीन नक्शा ट्रेस में उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 400 दर्शाया है। उसकी जगह खसरा नम्बर 409 आना चाहिए था। हाल खसरा नम्बर 410 रकबा 09 एयर पर अपीलांट पूर्व की भांति साबिक खसरा नम्बर 447 रकबा 07 बिस्वा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना की गई की अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 22.02.08 मुकदमा नम्बर 15/06 को अपास्त किया जाकर ... उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती (नक्शा ट्रेस) किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादी वाद दिनांक को विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त व्यक्ति है। इस तथ्य पर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम ने गौर किए बिना ही उक्त आदेश पारित किया हैं जो कि खारिज होने योग्य है। अतः अपीलांट अपील स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

6. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अपील में मुख्य अनुतोष निम्न हैः–

(1) इन्द्राज दुरूस्ती (नक्शा ट्रेस)।

(2) स्थाई निषेधाज्ञा।

स्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय मुख्य रूप से 02 बिंदुओ का विवेचन करना आवश्यक है। जो कि निम्नानुसार हैः–

प्रथमः– वाद दिनांक को रिकॉर्डेड खातेदार हो।

द्वितीयः–वाद दिवस को भौतिक रूप से काबिज काश्त हो।

रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2058–2061 खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम मन्नोज खातेदार चैन्या, धर्मा, ऋषि पिसरान लोहडया, शान्ति बेवा लोहड्या नाम दर्ज रिकार्ड है। मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. दिनांक 25.11.19 के अनुसार मंगल पुत्र श्योदान जाति मीना आराजीयात पर काबिज काश्त है।

इस प्रकार यद्यपि विवादित आराजीयात के रेस्पोडेन्टगण रिकार्डेड खातेदार है, परन्तु अपीलांट काबिज काश्त है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष अविधिक रूप से खारिज किया है। क्योंकि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 409 पर वाद दिनांक को अपीलांट/वादी भौतिक रूप से काबिज काश्त है। किसी काबिज काश्त व्यक्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175, 183 के तहत ही बेदखल किया जा सकता है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 188 के तहत नही।

7. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम द्वारा जो स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया हैं। वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अपील अ[illegible] यह अनुतोष स्वीकार योग्य है। अपीलांट का द्वितीय अनुतोष [illegible] साबिक खसरा नम्बर 410, 409, 411, 400, 447, [illegible] जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

धारा 88 के क्षेत्राधिकार में नही है। इसी सिद्वांत को आर.आर.डी. 2020 पेज 103 पर प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार यह अनुतोष क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम मन्नोज जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व रेस्पोडेन्टगण इस आशय की जारी की जाती है कि जब तक विधिपूर्वक बेदखली की कार्यवाही पूर्ण न हो तब तक अपीलांट के कब्जे काश्त में रेस्पोडेन्टगण मजाहमत न स्वयं करे ना किसी दीगर से करावे। परन्तु दुरूस्ती बाबत् नक्शा ट्रेस क्षेत्राधिकार में न होने के कारण अनुतोष को खारिज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 06.01.2023 को सुनाया गया।

06.01.2023

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. मंगल पुत्र श्योदान जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
2. हरज्ञान पुत्र जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान ।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये–जिलाधीश
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम
3. चैन्या
4. धर्म
5. रिषी

(3–5) पिसरान लौहड़या जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली।

6. शान्ति बेवा लौहडया जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली–(मृतक)(हजफ)
7. भजन पुत्र पूल्या जाति मीना निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टस।

अपील संख्या :17/2016 (339/08)
जी.सी.एम.एस संख्या :2008/00024

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 06.01.2023

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी टोड़ाभीम

1. यह अपील व तारीख 06.01.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री श्याम प्रकाश गर्ग अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम मन्नोज जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व रेस्पोडेन्टगण इस आशय की जारी की जाती है कि जब तक विधिपूर्वक बेदखली की कार्यवाही पूर्ण न हो तब तक अपीलांट के कब्जे काश्त में रेस्पोडेन्टगण मजाहमत न स्वयं करे ना किसी दीगर से करावे। परन्तु दुरूस्ती बाबत् नक्शा ट्रेस क्षेत्राधिकार में न होने के कारण अनुतोष को खारिज किया जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06.01.2023 को जारी किया गया।

मुहर

(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर)

06.01.2023

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested